मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 1/22/2013/पी.एम.यू/ 2706 भोपाल,दिनांक ~~/06/2015~~ 7-9-2015

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश

विषय :- बाहय वित्त पोषित परियोजनाओं अन्तर्गत किये गये ऋण अनुबंध संबंधी कार्यवाही।

...0...

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 81/आर 1703/2011/ब-1/चार, दिनांक 18.01.2012 द्वारा आयोजना मद की योजनाओं के प्रशासकीय अनुमोदन की व्यवस्था की गई है। बाहय वित्त पोषित परियोजनाओं के लिये राज्य स्तरीय समति (State Level Committee for Externally Aided Projects) के द्वारा बाहय वित्त पोषित परियोजनाएं अनुमोदित की जाती हैं। ऐसी परियोजनाऐं संचालनालय संस्थागत वित्त के माध्यम से परीक्षण कर संबंधित समिति को प्रस्तुत की जाती हैं।

2. राज्य शासन के ध्यान में आया है कि बाहय वित्त पोषित परियोजनाओं के संबंध में किये जा रहे ऋण अनुबंध सीधे, वित्त विभाग के संज्ञान में लाए बिना ही, हस्ताक्षरित किये जा रहे हैं।

3. अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसी परियोजनाऐं

... 2

जिनमें बाहय वित्त प्राप्त किया जाना है, के लिये निम्नांकित प्रक्रियायें सुनिश्चित की जायेः-

(अ) ऋण अनुबंध किए जाने के पूर्व वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की जाए।

(ब) लोन निगोशिएशन (ऋण अनुबंध हस्ताक्षर किये जाने से संबंधित बैंठकों में) में वित्त विभाग के कम से कम उप सचिव स्तर के अधिकारी को सम्मिलित किया जाए।

(स) ऋण अनुबंध की प्रति वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।

30.6.2015

(अजय नाथ)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक एफ 1/22/2013/पी.एम.यू 2707 भोपाल,दिनांक ~~/03/2015~~ 7-9-2015

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
3. अध्यक्ष / प्रबंध संचालक / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश के समस्त निगम/ मंडल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

J.K. Gupta

संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त
मध्यप्रदेश